न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर०ए०एस०
राजस्व प्रा० पत्र सं० : 94/2019 (25/2017)
GCMS NO. : 2017/00066

–:: प्रार्थी ::–

1. पूनाराम पुत्र गिरधारी
जाति–मेघवाल निवासी घोडावड
तहसील जैतारण जिला–पाली।

बनाम

–:: अप्रार्थीगण ::–

1. मांगुराम पुत्र गिरधारी
2. उदाराम पुत्र गिरधारी
3. विमला पत्नि मांगू
जातियान–मेघवाल निवासीगण
घोडावड तहसील जैतारण
जिला–पाली।
4. तहसीलदार एवं उपपंजीयन
अधिकारी तहसील कार्यालय
जैतारण जिला पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजूः 24/09/2019

उपस्थितः. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, प्रार्थी।
2. श्री नितेश चौहान, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः 30/09/2021**

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा घोडावड पटवार हल्का घोडावड भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण जिला पाली राज० में सायल एवं गैरसायलान् की सामलाती कब्जे काश्त की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 269/613 रकबा 0–03 बीघा खसरा नम्बर 426 रकबा 13–08 बीघा, खसरा नम्बर 434 रकबा 0–04 बीघा, खसरा नम्बर 435 रकबा 22–08 बीघा, खसरा नम्बर 437 रकबा 08–07 बीघा कुल खसरा 5 कुल रकबा 44–10 बीघा कृषि भूमि सायल एवं गैरसायलान् की सामलाती आई हुई है जो राजस्व रेकर्ड में सामलाती दज है जिस पर सायल एवं गैरसायलान् अपने–अपने हिस्सेनुसार अपनी समझ से ही काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हे तथा अपनी मामर्जी उपयोग/उपभोग करते चले आ रहे है। नकल जमाबन्दी साथ पेश है। विवादित आराजी सायल एवं गैरसायलान् की संयुक्त सामलाती खातेदारी दर्ज है तथा उक्त भूमि गांव के पास ही आबादी क्षेत्र के पास स्थित होने से गैरसायलान् संख्यां एक से तीन की नियत बद्ध हो चुकी है उक्त आराजी का सायल एवं गैरसायलान् के बीच आज दिन तक बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के कोई बंटवाडा नहीं हो रखा है उक्त विवादित आराजी की प्रत्येक इंच व इंच कृषि भूम पर सायल का हक हिस्सा एवं अधिकार बनता है तथा उक्त सम्पत्ति सायल एवं गैरसायलान् की पैतृक पुस्तैनी सम्पत्ति है जो बिना बंटवाडा के ही राजस्व रेकर्ड दर्ज है । जिसमे सायल एवं गैरसायलान् का रेकर्डनुसार हक हिस्सा बनता है। [illegible] गैरसायलान्

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

संख्या एक से तीन के नियत बद्ध होने से उक्त आराजी के विशिष्ट भू–भाग को बिना बंटवाडा करवाये ही अपना बताकर किसी अजनबी केता को बेचान करने पर उतारू एवं आमादा है जबकि उक्त खसरान् भूमि का कानूनन बंटवाडा नही हो रखा है तथा अजनबी केता बाले–बाले उक्त विवादित आराजी को खरीदना चाहता है। उपरोक्त वर्णित आराजी का अगर गैरसायलान् संख्या एक से तीन बिना बंटवाडा बिना सहमति से बेचान कर देते हैं या सायल के उसके हक हिस्से से वंचित कर देते है या सायल को अपनी काश्त एवं हक हिस्से से बिना कानूनी बंटवाडा करवाये ही बेदखल कर देते है तो सायल को अपने जायज हक अधिकारो से वंचित होना पड़ेगा जो विधिविरुद्ध है। उपरोक्त वर्णित आराजी राजस्व रेकर्ड में सामलती दर्ज होने एवं कानूनन बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा नही होने से सायल को अनेको प्रकार की कड़िनाईयो का सामना करना पड़ रहा है जिसमे सायल अपने हक हिस्से की आराजी मे बिजली कनेक्शन नहीं ले सकता है मेढबन्दी कराने ती अनेक प्रकार की सरकारी एवं गैरसरकारी योजनाओ का फायदा भी नहीं उठा सकता है। क्योकि उक्त आराजी का कानूनी बंटवाडा नही हो रखा है इसलिय वादपत्र बाबत् बंटवाडा का विरुद्ध गैरसायलान् के सादर प्रस्तुत किया है। दिनांक 5 1 2 1 1 7 को सायल द्वारा गैरसायलान् संख्या एक से तीन को उक्त आराजी का कानूनी बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा कराने का कहा तो गैरसायलान् ने स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया एवं गैरसायलान् संख्या एक से तीन ने सायल को एलानिया कथन किया कि वो उक्त आराजी मे से बिना बंटवाडा करवाये ही विशिष्ट भू–भाग का बेचान किसी अजनबी केता को कर देगा तथा तुम्हे मौके से बेदखल कर दुगां तथा कब्जा भी सुपूर्द कर दुगां। यदि गैरसायलान् ऐसा कर देते हे, और अपने नापाक इरादो में कामयाब हो जाते है एवं बिना किसी हक व अधिकार तथा बिना बंटवाडा के ही खरीददार अजनबी केता को मौके पर कब्जा सुपूर्द कर देते है तो सायल को अपने साम्पैतिक एवं कानूनी अधिकारों से हमेशा–हमेशा के लिए महरूम होना पड़ेगा एवं सायल को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही हो सकेगी तथा इस प्रकार ऐसी विषम परिस्थितियो मे सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थनापत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान सादर पेश है। तथ्यो, परिस्थितियो एवं मौके पर कब्जा काश्त से प्रथम दृष्टया मामला सायल के पक्ष मे साबित है यदि गैरसायलान् द्वारा बिना बाई मिटस् एण्ड बाउण्डस् के बंटवाडा करवाये सामलाती भूमि के विशिष्ट भू–भाग का बेचान हस्तान्तरण किसी अजनबी व्यक्ति को कर देते है एवं सायल को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखलकर देते है तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नही होगी एवं सायल अपने जायज हक हकूको एवं अधिकारो से महरूम हो जायेगा तथा विविध प्रकार की पेचीदगिया पैदा होगी। इसलिए गैरसायलान् द्वारा किये जा रहे अवैधानिक कृत्यों को [illegible] प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र व दस्तावेजात पेश कर निवेदन है कि [illegible] घोडावड पटवार हल्का घोडावड

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण

भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जैतारण तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में सायल एवं गैरसायलान् की सामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 269/613 रकबा 0-03 बीघा, खसरा नम्बर 426 रकबा 13-08 बीघा, खसरा नम्बर 434 रकबा 0-04 बीघा, खसरा नम्बर 435 रकबा 22-08 बीघा, खसरा नम्बर 437 रकबा 08-07 बीघा कुल खसरा 5 कुल रकबा 44 - 10 बीघा मे सायल अपने हक हिस्सेनुसार भूमि पर काबिज काश्त करे काश्त मुतालिक तमाम कार्य करे उपयोग/उपभोग करे तो गैरसायलान् उसमे न तो स्वयं न ही उनके नौकर चाकर हाली एजेन्ट रिश्तेदार आदि दखलन्दाजी पैदा नही करे तथा न ही मौके पर खूर्द बुर्द करे न नवनिर्माण करे तथा किसी प्रकार की कब्जे काश्त में दखलन्दाजी पैदा नही करे न ही करावे तथा वर्तमान राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति रखी जावे तथा गैरसायलान् को रहन, बेचान, बक्सीस, अन्य हस्तान्तरण करने से मूल वादपत्र के निर्णय तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा रोका जावें।

इस पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलान को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायलान द्वारा वकालतनामा पेश किया गया, जो सा.मि. है। अप्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने के अनेकानेक अवसर दिया गया परन्तु जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहे। वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने नो इन्स्ट्रक्शन प्लीड किया, आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को बार-बार रूक-रूक कर आवाजें दिलाई गई परन्तु बिना किसी सूचना के न्यायालय हाजा में अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस वकील वादी राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया तथा हस्तगत प्रकरण के सम्यक् न्याय निर्णयन में मार्गदर्शन प्राप्त किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार हैः-

1. **प्रथम दृष्टया मामलाः-** पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में वाद बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत कर दौराने वाद विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की मांग की है। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2069-72 ग्राम घोडावड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी भूमि है। प्रार्थी ने हस्तगत प्रार्थना-पत्र में कथन किये है कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी आबादी क्षेत्र के पास स्थित होने से गैरसायल संख्या 1 से 3 इस भूमि में से विशिष्ट भू-भाग को अजनबी क्रेता को बेचान करने पर आमादा है। संयुक्त सामलाती आराजी में प्रत्येक सह-खातेदार का प्रत्येक हिस्से पर समान हक-अधिकार निहित होता है। एक सह-खातेदार द्वारा सामलाती आराजी के विशिष्ट भू-भाग के हस्तांतरण से अन्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seervi
Date: 2022.01.20 16:54:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण

सह–खातेदारों के हित निश्चित ही प्रभावित होंगे। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः–** चुंकि प्रथम बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है साथ ही सामलाती आराजी में प्रत्येक सह–खातेदार का अपने हक–हिस्से तक सुविधा का संतुलन निहित होता है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः–** चुंकि प्रथम दोनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में साबित हुए है साथ ही यदि गैरसायल/अप्रार्थी संख्या 1 से 3 के द्वारा सामलाती आराजी के विशिष्ट भू–भाग का बेचान किया जाता है तो निश्चित ही प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी जबकि सामलाती, संयुक्त आराजी के प्रत्येक हिस्से पर प्रत्येक सह–खातेदार का समान हक–अधिकार निहित होता है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विन्रम अभिमत है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र बखूबी साबित होने से स्वीकार किया जाना एवं हस्तगत प्रकरण में उभयपक्षकारान को वादग्रस्त आराजी के विशिष्ट भू–भाग का रहन, बेचान व हस्तान्तरण न किये जाने हेतु पाबन्द किया जाना विधि–संगत एवं उचित समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। उभयपक्षकारान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा घोडावड पटवार हल्का घोडावड भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र जैतारण जिला पाली राज0 में सायल एवं गैरसायलान् की सामलाती कब्जे काश्त की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नम्बर 269/613 रकबा 0–03 बीघा खसरा नम्बर 426 रकबा 13–08 बीघा, खसरा नम्बर 434 रकबा 0–04 बीघा, खसरा नम्बर 435 रकबा 22–08 बीघा, खसरा नम्बर 437 रकबा 08–07 बीघा कुल खसरा 5 कुल रकबा 44–10 बीघा के विशिष्ट भू–भाग का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करे। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 30/09/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 16:54:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
जैतारण जिला–पाली(राज.)